प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 06-09-2021

थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर से दो नफर अभियुक्तों को 130.9 ग्राम अवैध मार्फिन के साथ गिरफ्तार किया गया।

डा0 यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ श्री दिनेश चन्द चौधरी के नेतृत्व में दिनांक 06.09.2021 को थाना ढेबरुआ पुलिस टीम द्वारा व SSB टीम सिद्धार्थनगर के द्वारा दो अभियुक्तों के पास से 130.9 ग्राम अवैध मार्फिन के साथ गिरफ्तार किया गया बरामद मार्फिन की अन्तराष्ट्रीय बाजार में मूल्य लगभग 42 लाख है। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/21, 183/21, धारा 8/22/23 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.जयनारायण चौधरी पुत्र स्व0 पाली थारु निवासी जजहरा थाना पिपरा जनपद कपिलवस्तु नेपाल।

2. किशन थारु पुत्र स्व0धनेराम थारु निवासी गजहरा थाना पिपरा जनपद कपिलवस्तु नेपाल।

बरामदगी का विवरण-130.9 ग्राम मार्फिन अभियुक्तो के कब्जे से बरामद किया गया। जिसकी अन्तराष्ट्रीय बाजार मे मूल्य 42 लाख है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

01. प्र0नि0 श्री दिनेश चन्द्र चौधरी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।
02. उ0नि0 श्री दयानन्द यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।
03. का0 ओम प्रकाश यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।
04. का0 बृजेश आर्य थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।
05.का0 आदर्श वर्मा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।
06. का0 निशांत यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।
07. SSB प्र0 नि0 जगदीश प्रसाद व SSB मय टीम।

प्रेस नोट दिनांक 06-09-2021

बरामदगी- 40 लीटर अवैध कच्ची शराब व भट्टी तथा शराब बनाने उपकरण व 2 क्युन्टल लहन नष्ट हुआ।

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री रमेश चंद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी इटवा एवं श्री पंकज कुमार पाण्डेय, थानाध्यक्ष थाना मिश्रौलिया के कुशल नेतृत्व में अवैध शराब निष्कर्षण की रोकथाम हेतु अभियान के अन्तर्गत घटना स्थल जोकईला आज दिनांक 06-09-2021 को एक अभियुक्त से दो गैलन से 40 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने का उपकरण बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी पर थाना मिश्रौलिया पर मुकदमा अपराध संख्या। 128/21धारा 60 (2)आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

नाम पता अभियुक्त :- भल्लू पुत्र नर्तन 2. दिनेश शाहनी पुत्र मेघा साकिनान जोकईला थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट -06.09.2021 थाना कपिलवस्तु

थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस ने 01अभियुक्त को 20 शीशी नेपाली नाजायज़ शराब के साथ दबोचा।

डॉ. यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध व रोकथाम तस्करी के संबंध मे चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर, के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष कपिलवस्तु , श्री महेश सिंह के नेतृत्व में आज दि. 6.9.2021 को समय करीब 0730 बजे थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा भरथापुर नहर पुलिया के पास से 20 शीशी नेपाली शराब नाजायज़ के साथ गिरफ्तार किया गया। उपर्युक्त संबंध मे थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 81/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण: -

1- शशी प्रताप पुत्र राम किशोर सा. मो. इन्द्रा नगर शोहरतगढ़ थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेसनोट दिनांक- 06.09.2021

एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा की कार्यवाही में 01 शोहदा धरा गया।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके आदि स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्रता व अश्लील हरकत आदि करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 06.09.2021 को प्रभारी एंटी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या द्वारा एन्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर , चिल्हिया व शोहरत गढ़ थानाक्षेत्र में आज स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, पार्कों आदि में चेकिंग की गयी। इस दौरान 01 शोहदा पकडा गया। पकड़े गये शोहदे के विरूद्ध उचित कार्यवाही की गई। शोहदे के घर वालो से बात करने के बाद घरवालों के द्वारा पुनः गलती ना करने के आश्वाशन तथा शोहदे द्वारा माफी मांगने व भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने के शपथ खाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया।

प्रेस नोट दिनांक 06.09.2021

कई दिनों से फरार चल रहे परिवाद संख्या-784/15 से संबंधित गैर जमानती वारंटी सुनील पुत्र ब्रह्मा को आज मोहाना पुलिस ने किया गिरफ्तार।

श्री यश वीर सिंह , पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2021 को अपराध एंव अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत परिवाद संख्या 784/15 नान्हू बनाम ब्रह्मा से संबंधित अभियुक्त वारंटी सुनील पुत्र ब्रह्मा ग्राम रसिया वल खुर्द थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर जो पिछले काफी दिनों से फरार चल रहा था, को आज मोहाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण - सुनील पुत्र ब्रह्मा ग्राम रसियावल खुर्द थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

सराहनीय कार्य दिनांक 06.09.2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्राटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-06-09-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 684 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 140 वाहनों का चालान कर ₹ 2,12,500/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

सराहनीय कार्य दिनांक 06.09.2021

थाना खेसरहा पुलिस ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को सम्बन्धित मु0अ0सं0 118/21 धारा 3/25 Arms Act में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डा0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एंव अपराधियों की गिरफ्तारी" अभियान के क्रम में व श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री अरुण चन्द, क्षेत्राधिकारी बांसी के पर्यवेक्षण में व श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा के कुशल निर्देशन में उ0नि0 श्री उपेन्द्र राय मय हमराह HC आनन्द कुमार जो देखभाल क्षेत्र जांच प्रा0 पत्र व पेन्डिग विवेचना में मामूर थे जरिये मुखबिर खास सूचना पर मौके पर पहुचंकर अभियुक्त रामसिंह मौर्या पुत्र बुधिराम साकिन भलुहा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को समय 10.35 बजे एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 118/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रामसिंह मौर्या पुत्र बुधिराम साकिन भलुहा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 उपेन्द्र राय थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
2. मु0 आरक्षी आनन्द कुमार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 06.09.2021

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशानुसार जनपदीय व यातायात पुलिस द्वारा डग्गामार व अनाधिकृत रुप से चल रहे वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर का मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशानुसार डग्गामार वाहनों के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 06.09.2021 को जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण के निर्देशन में यातायत पुलिस एवं जनपदीय पुलिस बल द्वारा अपने-अपने थानाक्षेत्रों में डग्गामार व अनाधिकृत रुप चल रहे वाहनों के विरुद्ध सघन चेंकिग अभियान चलाकर गलत तरीके से सीट में बढ़ोतरी के साथ सेफ्टी गॉड लगाना, सीटबेल्ट न लगाने वाले, प्रेशर हार्न लगाने वाले वाहनों के समस्त दस्तावेजों को पूर्ण न रखकर मोटर वाहन अधिनियम में दी गई शर्तों के उल्लंघन करने वाले वाहनों/वाहन चालको के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की गयी।